शिक्षक शिक्षा को बाजारू बनाने की मुहिम

वेद प्रकाश

सुदीप बैनर्जी समिति की रिपोर्ट के बाद से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के वजूद पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन शिक्षक शिक्षा के लिए सभी पहलुओं (गुणवत्ता संबंधी) पर मानदण्डों का निर्धारण करने और उनके अनुरूप शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की निगहबानी करने के लिए किया गया था। लेकिन बैनर्जी समिति की रिपोर्ट बताती है कि यह संस्थान नए बीएड कॉलेजों को मंजूरी देने और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने दम तोड़ते-तोड़ते शिक्षक शिक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश शिक्षक शिक्षा की रीढ की हड्डी को तोड़ने का बंदोबस्त करेंगे। यह लेख हाल ही में शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं इनसे शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल करता है।

शिक्षक-प्रशिक्षण शिक्षा व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। शिक्षक-प्रशिक्षक कार्यक्रमों की गुणवत्ता से शिक्षा प्रभावित होती है। शिक्षा पर अब तक गठित लगभग सभी आयोगों व समितियों ने शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी व गुणवत्ता युक्त बनाने की अनुशंसाएं की हैं। इन्हीं अनुशंसाओं के प्रयास के परिणामस्वरूप अगस्त, 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का लक्ष्य था कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन एवं समन्वित विकास किए जाने के साथ ही जरूरी नियम बनाकर अध्यापक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का उचित संरक्षण किया जा सके। एन.सी.टी. ई. के कुछ प्रमुख कार्यों में - अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, सर्वेक्षण और अध्ययन करना, अनुसंधान करना, शैक्षिक नवाचारों को अपनाना तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण पर रोक लगाना इत्यादि हैं।[1]

लेकिन यह विडम्बना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में विगत 10-12 वर्षों में जो कार्य किए हैं वे उसकी सार्थकता की बजाए उसकी नाकामी को सिद्ध करते हैं। इसका अन्दाजा हम 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाः 2005' में व्यक्त की गई चिन्ता से लगा सकते हैं - ''यद्यपि 1960 के दशक से ही शिक्षकों की पेशेवर तैयारी को अत्यावश्यक माना जाता रहा है, लेकिन इसका जमीनी यथार्थ चिन्तनीय है''[2] इसी क्रम में आगे कहा गया है कि, ''असल में, शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम तंत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिसमें

लेखक परिचय :

'भाषा अधिगम' पर शोधरत, कुछ लेख, कहानियां, समीक्षाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, शैक्षिक सरोकारों से गहरा जुड़ाव, हाशिए की समाज की बेहतरी के लिए किए जा रहे आंदोलनों में शिरकत। स्वयंसेवी संस्था 'नवयुवक मण्डल संस्थान' मिट्ठी रेडूवाली, चूरू से संबद्ध।

सम्पर्क :

सचिव, नवयुवक मण्डल संस्थान, मिट्टी रेडूवाली, सेक्टर-4, सी-26, सैनिक बस्ती, चूरू (राज.)

शिक्षा को महज एक सूचना संचारण माना जाता है।''[3] हम यहां राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विचारों से सहमति रखते हुए यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान में शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम तंत्र की जरूरत के साथ-साथ केवल बाजार की जरूरत तथा लाभ देखकर बनाए जा रहे हैं तथा उनको संपन्न करने के तरीके महज निजी प्रबंधनों की जरूरत से ईजाद किए जा रहे हैं।

इसकी पुष्टि के लए हम शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) ने जो ताजा संशोधन किया है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। दिसम्बर, 2007 में एन.सी.टी. ई. की एक बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी विषय का स्नातकोत्तर उपाधि धारक जिसने बी.एड. किया हो, वह बी.एड. की कक्षाओं को पढ़ा सकता है और उपर्युक्त योग्यता रखते हुए जिसने पांच वर्ष तक बी. एड. की कक्षाओं को पढ़ाया हो वह बी.एड. कॉलेज का प्राचार्य बन सकता है। नेट/सलेट/पी.एच.डी. इन सभी योग्यताओं तथा अन्य अनुभवों को नोट लगाकर औपचारिकतावश लिख भर दिया गया है कि अगर ये योग्यताएं रखने वाले पात्र मिलें तो इन्हें वरियता प्रदान की जाए,[4] लेकिन उपरोक्त संदर्भ में इनका कोई औचित्य नहीं नजर आता। कुल मिलाकर शिक्षा की स्नात्तकोत्तर उपाधि एम.ए. शिक्षा या एम.एड., नेट/सलेट/पी.एच.डी. इन सब उच्च योग्यताओं को बी.एड. कॉलेज व्याख्याता तथा प्राचार्य दोनों पदों के लिए दर किनार कर दिया गया है।

इस संशोधन से पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बी. एड. कॉलेज व्याख्याता के लिए जो योग्यता रखी थी उसके मुताबिक प्रार्थी का एम.एड., एम.ए. (शिक्षा), 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी. एड. तथा किसी भी एक अध्यापन विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसके साथ-साथ नेट/सलेट/पीएच.डी. को वरीयता प्रदान करने का प्रावधान इस शर्त के साथ था कि यह योग्यता प्रार्थी 2010 तक अर्जित कर लेगा। प्राचार्य के लिए उपर्युक्त योग्यताओं के साथ पीएच.डी. तथा 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव (जिसमें 5 वर्ष का अनिवार्यतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का हो) रखा गया था।[5]

यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सामने ऐसी कौनसी परिस्थितियां आ गईं जिनके कारण उसे शिक्षकों की इस येाग्यताओं में संशोधन करना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शायद इसका यह जवाब दे कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्यापन करवाने के लिए एम. एड. या एम.ए. (शिक्षा) उत्तीर्ण अध्यापक नहीं मिलते। अगर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की यही दलील है तो हम इसकी तह में सच की पड़ताल करें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जब किसी बी. एड. कॉलेज को मान्यता प्रदान करती है तो वह पहले इस बात से आश्वस्त हो जाती है कि इस बी.एड़ कॉलेज के पास प्राचार्य व व्याख्याता हैं। एन. सी. टी. ई. की अनुमति मिलने के बाद विश्वविद्यालय भी महाविद्यालय को संबद्धता तभी प्रदान करता है जब उसके पास प्राचार्य और व्याख्याता उपलब्ध हों। राजस्थान में तो प्राचार्य व व्याख्याताओं के चयन से विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि भी शामिल होता है। अन्य कई राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसका अर्थ यह हो जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अब तक जिन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की है उनके पास प्राचार्य एवं व्याख्याता हैं और बाकी रही बात नए खोले जाने वाले महाविद्यालयों की तो अकेले राजस्थान में ही हर वर्ष लगभग 400 विद्यार्थी एम.एड. कर रहे हैं और इससे दो-तीन गुना एम.ए. (शिक्षा) कर रहे हैं। अगर राजस्थान के संदर्भ में हम बी.एड. कॉलेजों की बात करें तो यहां 500 से अधिक बी.एड. कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 60,000 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारे विचार में राजस्थान में प्रतिवर्ष इतने प्रशिक्षित अध्यापक पर्याप्त हैं। क्योंकि इसके अतिरिक्त प्राथमिक शालाओं में अध्यापन करवाने वाले प्रशिक्षणार्थी(बी.एस.टी.सी.) भी हैं। राजस्थान के 500 से अधिक कॉलेजों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय व सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त की है। अगर इन महाविद्यालयों के पास व्याख्याता व प्राचार्य नहीं थे तो इनको मान्यता प्रदान कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की अनुमति प्रदान क्यों की गई ? यहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों व उसकी ईमानदारी पर संदेह होता है। साथ ही व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होता है। अगर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाने को तो छोड़िए बनाए रखने में भी कारगर नहीं है तो फिर इस संस्था की जरूरत क्या है ? इसका औचित्य क्या है ?

यहां एक बात और गौर करने लायक है, वह यह कि एम.एड. /एम.ए. (शिक्षा) किए अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन वे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं हैं क्योंकि उनकी सेवा शर्तों, वेतनमान, पदोन्नति, आदि के संबंध में में कोई स्थाई दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं।

सवाल यह भी है कि शिक्षकों की इन योग्यताओं के संशोधन से लाभ किसे मिलना है और हानि किसे होनी है ? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाः 2005 के अनुसार - ''बड़े पैमाने पर पैरा शिक्षकों की नियुक्ति ने पेशेवर शिक्षकों की छवि को धूमिल किया है।''[6] हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बी.एड. करने वालों को

बी.एड. किए हुए पढ़ाने वाले 'पैरा शिक्षक' भी शिक्षक प्रशिक्षण की छवि धूमिल करेंगे और शिक्षा के भविष्य के लिए यह अत्यन्त घातक होगा।

इसका एक पहलू यह भी है कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यताओं को कम करने की बात शिक्षा पर अब तक गठित आयोग/समितियों में से किसी ने नहीं की। अगर हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योग्यताओं को देखें तो स्नातक कक्षाओं को अध्यापन करवाने वाले अध्यापक को 55 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ ही वह पीएच.डी./नेट/सलेट हो। प्राचार्य के लिए उपर्युक्त योग्यताओं के साथ-साथ 10 वर्ष तक संबंधित कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता बतलाई है - "1. अच्छे अकादमिक श्रेणी से स्नातक 2. व्यवसायिक योग्यता - शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव।"[7]

माध्यमिक शिक्षा आयोग के बाद सन 1964 में कोठारी कमीशन का गठन हुआ। कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वह भारतीय शिक्षा की रीढ़ मानी जाती है, बाद में भी जो आयोग व समितियां गठित हुईं उन्होंने उसको आधार बनाकर कार्य किया है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों की योग्यता के संबंध में कहा गया है कि - "हमारा मत है कि इन संस्थाओं के अध्यापकों के पास दो स्नातकोत्तर उपाधियां होनी चाहिए - एक किसी अध्यापन विषय की और दूसरी किसी शिक्षा विषय की।... उनके वेतनमान वे ही होने चाहिएं जो कला या विज्ञान के कॉलेज लेक्चरार, रीडर, प्रोफेसर आदि के होते हैं।"[8] कोठारी कमीशन आगे अतिरिक्त सिफारिशें करते हुए कहता है कि "इन संस्थाओं में काम करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करने के लिए पीएच.डी., एम. एड. और शिक्षा के एम.ए. लोगों की संख्या में त्वरित वृद्धि की जानी चाहिए।"[9] ध्यान रहे यह कोठारी कमीशन ने हमें 1964 में सुझाया था और आज हम 45 साल बाद कह रहे हैं कि हमारे पास योग्य अध्यापक नहीं हैं ? प्रश्न पैदा होता है क्यों ? क्या यह कमीशन रिर्पोट बनाने व पढ़ने भर के लिए था ? कुछ करने के लिए नहीं !

इतना ही नहीं कोठारी कमीशन ने तो अतिरिक्त सिफारिश करते हुए यह भी कहा था कि - "राजकीय संस्थाओं में अध्यापक और निरीक्षक आपस में बदले जा सकते हैं और फल यह होता है कि अयोग्य और अवांछनीय लोग प्रायः प्रशिक्षण शालाओं में नियुक्त कर दिए जाते हैं। अतः यह परम आवश्यक है कि प्रशिक्षण शालाओं के लिए केवल योग्यतम और सर्वोत्तम पात्र ही चुने जाएं।"[10]

यह अनुशंसा कोठारी कमीशन ने 1964 में की थी और भारतीय संसद द्वारा गठित एक संस्था 2007 में कह रही है कि बी. एड. करने वालों को बी.एड. धारियों (जो किसी भी विषय में स्नातकोत्तर हों) से पढ़वा लिया जाए। आखिर एन. सी. टी. ई. इससे किसका हित साधना चाहती है ? शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, विद्यालयों का, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पढ़ाने वालों का, शिक्षा का या फिर शिक्षक शिक्षा का। कम से कम इनमें से तो किसी का नहीं। वह हित करना चाहती है निजी प्रबन्धकों का, इन प्रावधानों से उनको बहुत सस्ते में अध्यापक मिल जाएंगे और वे प्रशिक्षणार्थियों से ली गई फीस का अधिकतम पैसा बचा पाएंगे। क्योंकि अधिकतर निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है, उनका उद्देश्य पैसे की अधिकतम बचत करना है, तभी तो आज भी अनेक लोग बी.एड. कॉलेज खोलने की कतार में लगे हुए हैं, क्योंकि फिलहाल यह मुनाफे का कार्यक्रम है। लेकिन क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी. ई.) का फर्ज नहीं बनता था कि वह यह निर्णय लेने से पहले पूर्व में गठित आयोगों व समितियों की रिपोर्टों को देख लेती, अगर परिषद ऐसा करती तो शायद यह संभव होता कि वह शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित करने एवं व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाले और शिक्षा जगत को नुकसान पहुंचाने वाला तथा निजी प्रबंधकों का आर्थिक हित साधने वाला निर्णय न लेती। ◆

संदर्भ

1. वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ भारत 2007 : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

2, 3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाः 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली, पृष्ठ-122

4. Website-http//www.ncte-in.org

5. भारत सरकार का राजपत्र, भाग तृतीय , खण्ड 4, नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006

6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाः 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली, पृष्ठ-122

7. माध्यमिक शिक्षा आयोग रिर्पोट : भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, पृष्ठ-173

8. कोठारी कमीशन रिपोर्ट : भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, पृष्ठ 87

9.10. कोठारी कमीशन रिपोर्ट, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, पृष्ठ-87